न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 38/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्या 2017/00082

बउनवानीः—

1. मनीष बेनीवाल पुत्र मेजर सिंह जाति जाट निवासी मकान नम्बर 1/554 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाईमाधोपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्रीमति सुमनलता पुत्री स्व0 श्री शिवलाल खोवन्दा, पत्नि श्री मेजर सिंह निवासी मकान नम्बर 53 वार्ड नम्बर 10, तहसील व जिला हिसार, राज्य हरियाणा।
2. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 151 निर्णय दिनांक 30.6.2016 वाके ग्राम मुन्द्राहेडी तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री आशीष कुमार जैन — वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील रेस्पो.संख्या,1

—: निर्णय :— **दिनांक 22.07.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 151 निर्णय दिनांक 30.6.2016 वाके ग्राम मुन्द्राहेडी तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि स्व0 श्री शिवलाल सोखन्दा की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ख0न0 321 रकबा 0.17 है0 ,ख0न0 323 रकबा 0.23 है, ख0न0 330 रकबा 1.12 है0,ख0न0 331 रकबा 0.33 है0, ख0न0 332 रकबा 0.01 है0,ख0न0 333 रकबा 0.37 है0 ,ख0न0334 रकबा 0.35 है0, ख0न0 335 रकबा 0.54 है0, ख0न0 336 रकबा 0.01 है, ख0न0 337 रकबा 0.63 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 3,76 है0 वाके ग्राम मुन्द्राहेडी तहसील सवाईमाधोपुर मे स्थित है। स्व0 श्री शिवलाल सोखन्दा का देहान्त दिनांक 10.2.2009 को हो गया है तदोपरान्त उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा मृतक की पत्नि श्रीमति होशियारी देवी के नाम व शेष 1/2 हिस्सा स्व0 शिवलाल सोखन्दा की पुत्री श्रीमति सुमनलता के नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजित हो गया है। श्रीमति होशियारी देवी का देहान्त दिनांक 18.1.2016 को हो गया है। उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्से की खातेदार श्रीमति होशियारी देवी ने अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 16.11.2010 को वसीयत रूबरू गवाह मुकेश शर्मा एवं संजय शर्मा के निष्पादित कर अपीलान्ट को अपनी चल अचल सम्पति का वसीयत वारिस बनाया है। अपीलान्ट बाल्यकाल से ही अपने नाना स्व. श्री शिवलाल सोखन्दा व नानी श्रीमति होशियारी देवी के साथ पहले तो ग्राम फलोदी मे तदुपरान्त हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान संख्या 1/554 मे रहकर बडा हुआ ओर आजीवन नाना—नानी की सेवा करता रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त 1/2 हिस्से का नामा0 अपने नाम बामुताबिक वसीयत श्रीमति होशियारी देवी दिनांक 16.11.2010 के आधार पर खुलवाने हेतु रेस्पो.संख्या 2 को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु रेस्पो. संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के आवेदन को अनसुना कर टालमटोल करता रहा है। और बेहद पोशीदगी में उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा का नामा0 151 दिनांक

डॉ० एन. पी. सिंह
जिला कलेक्टर

30.6.2016 को रेस्पो. संख्या 2 द्वारा रेस्पो.संख्या 1 के नाम खोल दिया। यह तर्क भी दिया कि श्रीमति होशियारी देवी का देहान्त दिनांक 18.1.2016 को हुआ है और उक्त नामा0 कथित फर्जी व जाली हकत्याग विलेख दिनांक 23.6.2014 के आधार पर अत्यन्त विलम्ब से श्रीमति होशियारी देवी के देहान्तोपरान्त पोशीदगी मे बिना अधिकार बिना अपीलान्ट को सुने मनमाने तरीके से भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। जो बामुकाबलें अपीलान्ट आरम्भतः शुन्य व निष्प्रभावी होने से काबिलें अपास्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि होशियारी देवी द्वारा उक्त जाली व फर्जी हकत्याग विलेख कूटरचित किया है बल्कि एक जाली व फर्जी वसीयत दिनांकित 10.12.2015 को भी कूटरचित की है जबकि उत्तराधिकार में आने वाली सम्पति बाबत इनकी आवश्यकता ही प्रतीत नही होती है। ऐसा केवल अपीलान्ट के हक की वसीयत से वाकिफ जानकार होते हुए अपीलान्ट के हितों को नुकसान पहुॅचाकर फर्जीयत कर अपीलान्ट की सम्पति हडपने की बदमंशा मात्र से किया गया है। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा होशियारीं देवी के जीवनकाल में मृतका के मकान नं. 1/554 हाउसिंग बोर्ड को फर्जीयात कर पोशीदगी में स्वंय के नाम कराने की कार्यवाही राजस्थान आवासन मण्डल के समक्ष की थी तब स्वंय मृतका श्रीमति होशियारी देवी ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समक्ष शिकायत दिनांक 5.11.2014 मय शपथ पत्र दिया है जिसपर रेस्पो.1 का फर्जीयात कर मकान स्वंय के नाम करवा लेने का प्रयास असफल हुआ है। यदि 23.6.2014 का हकत्याग पत्र सही होता तो श्रीमति होशियारी देवी द्वारा ऐसा आपत्ति पत्र मय शपथ पत्र पेश करना सम्भव नही था जो रेस्पो. संख्या 1 द्वारा हकत्याग पत्र को कूटरचित किये जाने का अकाट्य प्रमाण है। इसलिए ऐसे फर्जी एवं जाली व कूटरचित हकत्याग विलेख के आधार पर पोशीदगी में भरा गया नामा0 आदेश जैर अपील काबिले अपास्तनीय है। इस प्रकार रेस्पो. द्वारा कूटरचित फर्जी व जाली हकत्याग पत्र दिनांकि 23.6.2014 व वसीयत पत्र दिनांकित 10.12.2015 बमुकाबले अपीलान्ट आरम्भत शुन्य व निष्प्रभावी है जिस बाबत पृथक से वाद राजस्व व दीवानी वाद माकूल अनुतोष के तहत पेश करने का अपीलान्ट को अधिकार सुरक्षित है। वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RBJ(18)2011 page No 225-227 पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को रेस्पो. द्वारा पेश दिवानी वाद संख्या 183/2016 समक्ष सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के सम्मन मय नकल दावा दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त होने पर हुई है। दिनांक 25.11.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 151 दिनांक 30.6.2016 श्रीमति होशियारी देवी द्वारा रेस्पो.संख्या 1 के पक्ष मे करवाये गये रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के नाम मृतक श्रीमति होशियारी देवी द्वारा वसीयत रजिस्टर्ड करवायी गयी है किन्तु उसने अपने जीवनकाल में उक्त वसीयत से संबंधित आराजीयात को जरिये रजिर्स्डट हकत्याग रेस्पो. संख्या 1 के नाम कर दिया था। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत प्रभाव मे आती है किन्तु हकत्याग करने के तुरन्त बाद ही प्रभावी हो जाता है। जहॉ तक हकत्याग के आधार पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नही होने के संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का प्रश्न है तो उक्त न्यायिक दृष्टान्त मे अंकित तथ्य व इस प्रकरण में अंकित तथ्यों मे भिन्नता है। यह भी तर्क दिया कि आदेश जैर अपील सें संबंधित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य अपने अधिकार तय करवाने, हकत्याग को

डॉ० प्र. पी. सिंह
जिला कलेक्टर

निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय मे तथा अपने अधिकार की उद्घोषणा करवाने हेतु दावा उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि विवादित नामा0 आदेश जैर अपील नामा संख्या 151 दिनांक 30.6.2016 वाके ग्राम मुन्द्राहेडी रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 23.6.2014 के आधार पर तस्दीक किया गया है तथा रजिस्टर्ड हकत्याग को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद जैरकार है। किन्तु अपीलान्ट के पक्ष में भी मृतक होशियारी देवी द्वारा दिनांक 16.11.2010 को वसीयत रजिस्टर्ड करवायी गयी थी। वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करवाने हेतु दिनांक 16.11.2010 को तहसीलदार को आवेदन किया था। यद्यपि वसीयत का नामा0 वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरान्त ही खोला जाता है किन्तु हकत्याग के आधार पर तो नामा0 तत्समय ही तस्दीक किया जा सकता है तो रेस्पो0 द्वारा हकत्याग दिनांक 23.6.2014 से 30.6.2016 लगभग 2 वर्ष तक नामा0 क्यो नही खुलवाया गया तथा जब अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 16.11.2010 से तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन था तो हकत्याग का नामा0 तस्दीक करने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को क्यो नही सुना गया। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आदेश जैर अपील का विधिसम्मत होने पर सन्देह किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RBJ(18)2011 page No 225-227 के अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नही है। किन्तु इस प्रकरण मे हकत्याग के आधार पर ही खातेदारी दी गयी है। इस आधार पर भी आदेश जैर खारिज किये जाने योग्य है। यह भी उल्लेखीय है कि पक्षकारान के मध्य आदेश जैर अपील से संबंधित हकत्याग को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील न्याय संगत नही होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:05:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: